

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

रणजीत बनाम प्रहलाद सिंह आदि

किरण मुकदमा - इजराय

मुकदमा नम्बर 18 / 2024

तारीख	हल्लम	हल्लम या तजरवाही मय तद्यु हस्ताक्षर जज	संख्या व तारीख प्रकार व इस हल्लम की तारीख व तारीख इ.प.
09.02.2024		<p>वकील डिक्कीदार श्री आदित्य प्रताप सिंह बरुका एडवोकेट ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्ट्र की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2024 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 07.03.2024 को पेश हो।</p> <p>(दिमीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>	
02.09.2024		<p>पत्रावली तारीख-पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्कीदार उपस्थित। प्रकरण में कार्यालय हाजा के श्री सौवरमल यादव भू अभिलेख निरीक्षक ने अवगत कराया कि ऑनलाईन मिलान करने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्की की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तरण संख्या 3321 दिनांक 31.08.2024 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आम कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज की जाकर फंसल की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>	<p>आम कोर्ट में मिलान बिना नं.सं. 3321 दि. 31.8.24 द्वारा फंसल की पालना की गयी।</p> 